न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–281 / 2026
बेलछी थाना कांड संख्या–44 / 2026
अंतर्गत धारा–25(1-B)a. 26 शस्त्र अधिनियम

22.06.2026 काराधीन अभियुक्त–1. त्रिपुरारी कुमार सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दिनांक–18.05.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है, जोकि धारा–25(1-B)a. 26 शस्त्र अधिनियम से संबंधित बेलछी थाना कांड संख्या–44 / 2026, दिनांक–12.04.2026 के नामित अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावा एक अन्य केस काशीचक थाना कांड संख्या–330 / 2023 है। आवेदक दिनांक–13.04.2026 से काराधीन हैं। आवेदक का पूर्व में जमानत आवेदन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दिनांक–24.04.2026 को खारिज किया जा चुका है। आगे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि, आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई–भी कथित अपराध–कारित नहीं किया गया है। जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, इन्हें ग्रामीण राजनीति के कारण इस केस में गलत फंसाया गया है। जप्ती–सूचि के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि, शस्त्र जप्ती के संबंध में स्थान का जिक्र नहीं किया गया है कि, शस्त्र को किस जगह से बरामद किया गया। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचक बेलछी थानाध्यक्ष पु0अ0नि0–नवीन कुमार हैं, उन्होंने अपने टंकित आवेदन में कहा है कि, दिनांक–12.04.2026 को समय करीब 19.05 बजे उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि, बराह ग्राम निवासी त्रिपुरारी कुमार सिंह के द्वारा खुशी मेडिकल दुकान की ओर से हथियारों की खरीद–बिक्री की जा रही है और उन्हें हथियारों के साथ पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर सूचक और अन्य सशस्त्र बलों के साथ खुशी मेडिकल दुकान के पास पहुंचा तो देखा कि, मेडिकल दुकान के पास बाहर गेट पर एक व्यक्ति खड़े हैं, उस व्यक्ति से पूछ–ताछ करने पर उसने अपना नाम–त्रिपुरारी कुमार सिंह बताया, उस सूचना के अनुसार, उसके खुशी मेडिकल दुकान के उपर में प्रथम तल पर अवस्थित उनके आवासीय घर में छापामारी किया गया तो सीढ़ी के पास वाले कमरे में स्थित गोदरेज को त्रिपुरारी कुमार सिंह के द्वारा खुलवाया गया तो उसमें एक देशी पिस्टल, मैग्जीन, एक देशी कट्टा, ग्यारह चक्र कारतूस जिसके प्रत्येक के पेंदे पर 7.65 KF लिखा हुआ था एवं चार चक्र कारतूस जिसके प्रत्येक के पेंदे पर 8 MM KF लिखा हुआ था इसके अलावा एक

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–281 / 2026
बेलछी थाना कांड संख्या–44 / 2026
अंतर्गत धारा–25(1-B)a. 26 शस्त्र अधिनियम

लगातार

22.06.2026

अतिरिक्त पिस्टल का मैग्जीन, छः पिस्टल कभर, एक लाख पच्चीस हजार रूपए बरामद किया गया। दुसरे कमरे से एयर गन बरामद किया गया। जप्त शस्त्र के संबंध में त्रिपुरारी कुमार सिंह से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–4 में वादी का पुनः, ब्यान है, जिसमें इन्होंने घटना का समर्थन किया है, इसी प्रकार कंडिका–5 में साक्षी–स0अ0नि0 अवधेश कुमार, कंडिका–06 साक्षी–दिनेश यादव, कंडिका–07 में साक्षी–मनोहर गोप, कंडिका–8 में साक्षी–महिला सिपाही पुतुल कुमारी एवं कंडिका–9 में साक्षी–नकुल कुमार ने भी घटना का समर्थन करते हुए आवेदक अभियुक्त के पास से शस्त्र बरामदगी की बात का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–14 के अनुसार, आवेदक का अपराधिक इतिहास है। आवेदक के विरूद्ध अवैध हथियार की खरीद–बिक्री का आरोप है। सभी शस्त्र उसके घर में रखे गोदरेज के लॉकर से बरामद किया गया, आवेदक के पास से देशी कट्टा, मैग्जीन, एवं 15 जिंदा कारतूस बरामद तथा एक एयर गन भी बरामद हुआ है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता और अपराधिक इतिहास को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त–1. त्रिपुरारी कुमार सिंह को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़